वित्त समिति की 14वीं बैठक का दिनांक 10.11.2016 का कार्यवृत्त

प्रो0 पी0के0गर्ग, कुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की अध्यक्षता में तकनीकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 14वीं बैठक कुलपति कार्यालय कक्ष में दिनांक 10.11.2016 को दिन बृहस्पतिवार समय 11.30 बजे पूर्वान्ह से आयोजित/सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

01.	प्रो0 पी0के0गर्ग, कुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री ए0एस0चौहान, अपर सचिव वित्त प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री महेश सी0 कौशिवा, अपर सचिव न्याय, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्री आर0आर0सिंह, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री सुनील सिंह, उप सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
06	प्रो0 संदीप सिंह, अधिष्ठाता,प्रतिनिधि, निदेशक, आई0आई0टी0 रूड़की	नामित सदस्य
07	डॉ0 एस0के0गोयल, प्रतिनिधि कुलपति ,गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर	नामित सदस्य
08	श्री जयपाल सिंह तोमर, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,देहरादून	संयोजक/सदस्य

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि कतिपय कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। बैठक में विश्वविद्यालय के सहायक लेखाधिकारी श्री गणेश सिंह रावत द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

बैठक की कार्यवाही निम्न प्रकार सम्पन्न हुई :–

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय
01.	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2016–17 का आय–व्ययक के अनुमान का अनुमोदन (पृष्ठ 01 से 04)।	समिति द्वारा चर्चा के उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।
02.	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय तथा संघटक संस्थानों पर वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2014–15 की वास्तविक आय रू0 7792.50 लाख के सापेक्ष रू0 5773.23 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ। (पृष्ठ 05 से 06)।	समिति द्वारा चर्चा के दौरान सुझाव दिया गया कि वि0वि0 द्वारा वास्तविक आय तथा वास्तविक व्यय का कुल योग का उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है,जबकि वास्तविक आय – व्यय का मदवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत होना चाहिये। विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा भविष्य में इसी अनुरूप आय एवं व्यय का अलग–2 मदवार विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात् प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
03.	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय तथा संघटक संस्थानों पर वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2015–16 की वास्तविक आय रू0 4048.31 लाख के सापेक्ष रू0 6111.99 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।(पृष्ठ 07 से 08)।	बिन्दु संख्या–02 के अनुरूप समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुपालन में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा भविष्य में इसी अनुरूप आय एवं व्यय का अलग–2 उल्लेख करने का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात् प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बिन्दु–02 एवं 03 पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय एवं समस्त संघटक संस्थानों में उपनल के माध्यम से रखे गये आउटसोर्स कार्मिकों को शासन द्वारा निर्धारित मानक से अधिक वेतन/ मानदेय दिये जाने तथा इन समस्त संस्थानों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक पदों पर तैनात किये गये कार्मिकों के संबंध में प्रस्ताव शासन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का सुझाव दिया एवं शेष प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
04.	टी0एच0डी0सी0, आई0एच0ई0टी0 विश्वविद्यालय के नियंत्रण में संचालित एवं टी0एच0डी0सी0 द्वारा स्ववित्त पोषित संघटक तकनीकी संस्थान है।	बिन्दु संख्या–02 के अनुरूप समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुपालन में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा भविष्य में इसी अनुरूप आय एवं व्यय का अलग–2

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय
	एम0ओ0यू0 के अनुसार इस संस्थान के सभी प्रकार का व्यय भार संस्थान द्वारा ही वहन किया जाना अनुबन्धित है,तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 की वास्तविक आय रू0 623.49 लाख के सापेक्ष रू0 572.10 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।(पृष्ठ 09)।	विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात् प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
05.	मा0 कुलपति महोदय के प्रयोगार्थ यू0टी0यू0निधि से एक नया वाहन (टोयाटा–इनोवा/ 07 सीटर /यूरो–03)के क्रय पर हुये वास्तविक रू0 12.12 लाख(रूपये बारह लाख बारह हजार मात्र) के व्यय पर कार्योत्तर स्वीकृति एवं वित्त नियंत्रक तथा परीक्षा नियंत्रक हेतु नये वाहन क्रय का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	वित्त नियंत्रक तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 कुलपति महोदय के लिये क्रय किये गये वाहन को शासन द्वारा निर्धारित की गई शर्तो के अनुसार निर्धारित वित्तीय सीमा एवं अधिकारियों की श्रेणी के अनुसार क्रय किया गया है। समिति द्वारा वाहन के क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा त0वि0वि0 के वित्त नियंत्रक तथा परीक्षा नियंत्रक(परीक्षा विभाग हेतु बोलेरो) हेतु एक–एक वाहन क्रय की स्वीकृति इस प्रतिबंध के सांथ प्रदान की गई कि इस हेतु शासन द्वारा निर्धारित की गई अधिकारी/वाहन की श्रेणी एवं वित्तीय सीमा तथा अधिप्राप्ति नियमावली अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों के अन्तर्गत वाहन क्रय किया जायेगा,एवं नियमानुसार अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्व में परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपयोग किये जा रहे बोलेरो वाहन,जो कि निष्प्रयोज्य हो चुका है, की नियमानुसार निलामी की जायेगी।

06. यू0टी0यू0 में आय बढाने हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 से लागू शुल्क ढांचे में पुनरीक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2016–17 से विभिन्न आय मदों में(प्रस्तावित परीक्षा शुल्क ढांचे/सम्बद्धता शुल्क) / व्यय मदों (परीक्षा संचालन/मूल्यांकन) की दरों का पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ (पृष्ठ–10 से 16)

समिति द्वारा पृष्ठ 10 से 16 के अनुसार बनाये गये शुल्क ढांचे के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की गई,तथा इनमें कतिपय संशोधन का सुझाव दिया,ताकि आय एवं व्यय की मदों में साम्य की स्थिति बनी रहे। समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार संशोधित किये गये शुल्क ढांचे का तद्नुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(AICTE COURSES)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ए0आई0सी0टी0ई0 पाठ्यकमों का वित्तीय वर्ष 2016–17 से स्वीकृत शुल्क ढाँचा सम सेमेस्टर्स में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं एवं संस्थानों हेतु।

SL NO	PARTICULARS OF FEE	OLD FEE YEAR 2013 to 2015-16	Approved by FC 2016-17	REMARKS
1	EXAMINATION FEE (UG COURSE)	2000	**2500**	PER SEMESTER
2	EXAMINATION FEE (PG COURSE)	2500	**3000**	PER SEMESTER
3	SPORTS FEE	300	**400**	YEARLY
4	DEVELOPMENT FEE	300	**400**	YEARLY
5	STUDENT WELFARE FEE	200	**300**	YEARLY
6	ENROLLMENT FEE	1000	**1500**	YEARLY ONE TIME
7	REGISTRATION FEE	200	**300**	YEARLY ONE TIME
8	BACK PAPER FEE/PRACTICAL	250	**1000**	PER SUBJECT
9	SPECIAL BACK PAPER FEE/parctical	600	**2000**	PER SUBJECT
10	ON DEMAND PAPER FEE	2500	**4000**	PER SUBJECT
11	ON DEMAND PAPER BY INST.	1000	-	Closed
12	PDC FEE	50	**100**	PROV. DEGREE
13	MIGRATION FEE	50	**100**	MIGRATION
14	ORIGINAL DEGREE FEE	250	**300**	ORIGINAL DEGREE
15	DUPLICATE DEGREE FEE	250	**400**	DUPLICATE ORIGINAL DEGREE
16	DUPLICATE MARKSHEET FEE /SEMESTER	100	**200**	DUPLICATE MARK SHEET
17	NAME CORRECTIONS FEE	50	**100**	PER MARK SHEET / DEGREE
18	TRANSCRIPT FEE / SEMESTER	10	**100**	PER Set

19	JEEMAIN / UKSEE COUNSLLING FEE	1000	**2000**	COUNSLLING FEE
20	ANSWER SHEET PHOTOCOPY FEE	150	**500**	
21	AFFILIATION FEE	75000	**100000**	PER COURSE (MTECH , MPHR , BPHR , MBA , MCA , BHMCT) PER YEAR
		25000	**30000**	PER YEAR (ONLY FOR BTECH)
22	Phd/ FEE	10000	**20000**	YEARLY
23	THESIS Phd FEE	15000	**20000**	ONE TIME
24	Phd APPLICATION FORM FEE /ENTRANCE EXAM	100	**1000**	PER FORM /
25	MTECH (Seq.) APPLICATION FEE	100	-	Course Closed
26	MTECH (Seq.) TUITION FEE	25000	-	Course Closed
27	MTECH BY RESEARCH	20000	-	Course Closed
28	THESIS (Seq Mtech) FEE	5000	**10000**	ON TIME old Student s
29	M. PHARMA UTU CAMPUS TUITION FEE	39650	**40000**	
30	M. TECH UTU CAMPUS TUITION FEE	35000	**45000**	PER SEMESTER
31	M. TECH UTU CAMPUS SPONSORED CANDIDATE TUITION FEE	45000	**55000**	PER SEMESTER
32	EDUCATIONAL VERIFICATION FEE	0	**500**	ALL PAPER
33	PROCESSING FEE NEW COURSE / BRANCH	100000	**125000**	One time

Professional Course Fee समस्त सेमेस्टर्स में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं एवं संस्थानों हेतु।

SL NO	PARTICULARS OF FEE	OLD FEE	Approved By FC 2016-17	REMARKS
1	EXAMINATION FEE (UG COURSE)	2000	**2500**	PER SEMESTER
2	EXAMINATION FEE (PG COURSE)	2000	**2500**	PER SEMESTER
3	SPORTS FEE	300	**300**	YEARLY FEE
4	DEVELOPMENT FEE	0	**300**	YEARLY FEE
5	STUDENT WELFARE FEE	0	**200**	YEARLY FEE
6	ENROLMENT FEE	1000	**1200**	YEARLY FEE ONE TIME
7	REGISTRATION FEE	0	**0**	
8	BACK PAPER FEE/PRACTICAL	250	**1000**	PER SUBJECT
9	SPECIAL BACK PAPER FEE	600	**2000**	PER SUBJECT
10	ON DEMAND PAPER FEE	2500	**3000**	PER SUBJECT
11	PDC FEE	50	**100**	PER DEGREE (PDC)
12	MIGRATION FEE	50	**100**	MIGRATION
13	ORIGINAL DEGREE FEE	250	**300**	PER DEGREE (ORIGINAL)
14	DUPLICATE DEGREE FEE	250	**400**	PER DEGREE (ORIGINAL)
15	DUPLICATE MARKSHEET	100	**200**	PER MARKSHEET
16	NAME C0RRECTION FEE	50	**150**	PER MARKSHEET / DEGREE
17	TRANSCRIPT FEE	10	**100**	PER COPY
18	ANSWER SHEET PHOTOCOPY FEE	150	**200**	PER COPY
19	EDUCATIONAL VERIFICATION FEE	0	**500**	ALL PAPER
20	PROCESSING FEE NEW COURSE / BRANCH	100000	**125000**	ONE TIME
	TOTAL			

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,देहरादून

परीक्षा संचालन दरें :– सम सेमेस्टर परीक्षाओं की वित्तीय वर्ष 2016–17 से स्वीकृत दरें।

क्र.स.	कार्य का नाम	वर्तमान दरें		वित्त समिति द्वारा स्वीकृत दरें
		मानक	दरें	
1	उड़न दस्ता सदस्य का पारिश्रमिक	प्रत्येक जोन हेतु संयोजक हेतु पांच सदस्यों की टीम	रू0 150 प्रति पाली (अधिकतम रू0 450 प्रति दि वाहन भत्ता)	रू0 300 प्रति पाली (प्रति कॉलेज अधिक रू0 700.00 प्रति दिन. वाहन भत्ता)
2	केन्द्र अधिक्षक का पारिश्रमिक	सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक	रू0 900 प्रति दिन अधिकतम रू0 9000.00	रू0 1200 प्रति दिन अधिकतम रू0 12000.00
3	सहायक केन्द्र अधीक्षक का पारिश्रमिक	–	रू रू0 700 प्रति दिन अधिकतम रू0 7000	रू रू0 1000 प्रति दिन अधिकतम रू0 10000
4	कक्ष निरीक्षक को पारिश्रमिक	30 छात्रों पर एक क0 निरिक्षक	रू 150 प्रति पाली (30 छात्रों पर दो कक्ष निरिक्षक)	रू 250.00प्रति पाली (30 छात्रों पर दो कक्ष निरिक्षक)
5	प्रयोगिक परीक्षक (परास्नातक का पारिश्रमिक)	–	रू0 15.00 प्रति छात्र न्यूनतम 500.00 प्रति विषय	रू0 25.00 प्रति छात्र न्यूनतम 1000.00 प्रति विषय
6	प्रयोगिक परीक्षक (स्नातक का पारिश्रमिक)	–	रू0 15.00 प्रति छात्र न्यूनतम 500.00 प्रति विषय	रू0 20.00 प्रति छात्र न्यूनतम 1000.00 प्रति विषय
7	प्रयोगशाला सहायक का पारिश्रमिक	–	रू0 30.00 प्रति दिन	रू0 50.00 प्रति दिन
8	प्रयोगशाला अनुचर का पारिश्रमिक	–	रू0 20.00 प्रति दिन	रू0 30.00 प्रति दिन

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय				
		9	नोडल अधीकारी का पारीश्रमिक	सम्पूर्ण परीक्षाकाल हेतु एक पर्यवेक्षक।	रू0 600 प्रति दिन अधिकतम रू0 6000.00	रू0 800.00 प्रति दिन अधिकतम रू0 8000.00
		10	नोडल केन्द्र कर्मचारियों का पारिश्रमिक	250 छात्रों पर 01 चतुर्थ श्रेणी एवं 250 से अधिक छात्र संख्या पर एक अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी यदि अतिरिक्त छात्र संख्या 250 है।	तृतीय श्रेणी दर रू0 150 प्रति दिन,अधिकतम रू0 1500.00। चतुर्थ श्रेणी रू0 100 प्रति दिन, अधिकतम रू0 1000, सुरक्षा कर्मी 50 प्रति दिन	तृतीय श्रेणी दर रू0 250 प्रति दिन,अधिकतम रू0 2000.00। चतुर्थ श्रेणी रू0 150 प्रति दिन, अधिकतम रू0 1500.00, सुरक्षा कर्मी 100.00 प्रति दिन
		11	नोडल केन्द्र पर पैकेजिंग /वितरण पर व्यय	–	रू0 1000.00 की सीमा तक	रू0 1500.00 की सीमा तक
		12	परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लेखा कर्मचारियों	–	लेखाकार रू0 500 सहायक लेखाकार रू0 250 कुल रू0 1000 अधिकतम	लेखाकार रू0 1000.00 सहायक लेखाकार रू0 500.00 कुल रू0 1500.00 अधिकतम
		13	संस्था में प्रयोगिक परीक्षा में आकस्मिक व्यय	–	रू0 200 प्रति विषय	रू0 500.00 प्रति विषय
		14	लिखित परीक्षा सामग्री / आकस्मिक व्यय	–	रू0 7.00 प्रति छात्र	रू0 10.00 प्रति छात्र
		15	केन्द्र अधीक्षक /सहायक अधीक्षक एवं कक्ष निरीक्षक का मानदेय	–	रू0 800 प्रतिदिन अधिकमत रू0 12000	रू0 800 प्रतिदिन अधिकमत रू0 12000
		16	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	–	रू0 150/– प्रतिपाली	रू0 200/– प्रतिपाली

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय			
	(अ) परास्नातक (ब) स्नातक		रू0 20 प्रति उत्तर पुस्तिका रू0 15 प्रति उत्तर पुस्तिका	रू0 25 प्रति उत्तर पुस्तिका रू0 20प्रति उत्तर पुस्तिका
17	पर्यवेक्षक	–	रू0 600 प्रतिदिन अधिकमत रू0 6000	रू0 800 प्रतिदिन अधिकमत रू0 8000
18	उडनदस्ता	–	रू0 150 प्रतिदिन अधिकमत रू0 6000	रू0 450 प्रतिदिन अधिकमत रू0 8000
17	प्रश्न पत्र सेटिंग	–	रू0 1000.00 प्रति प्रश्न पत्र एवं वास्तविक डाक खर्च	रू0 1500.00 प्रति प्रश्न पत्र एवं वास्तविक डाक खर्च
18	Moderation	–	रू0 1000 प्रति दिन	रू0 1500.00 प्रति दिन
19	M.Tech / M.Pharma. ,Low Dissertation, Viva Exam. Per Student	–	रू0 500.00 प्रति दिन केवल वाह्य परीक्षकों के लिये	रू0 700.00 प्रति वॉयवा तथा रू0 3500 अधिकतम केवल वाह्य परीक्षकों के लिये
20	परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय बैठक का सिटिंग चार्ज		रू0 1000/– प्रतिदिन प्रति सदस्य	रू0 1500.00/– प्रतिदिन प्रति सदस्य

Entrance Exam. की पारिश्रमिक दरें यू0केएस0ई0ई0ई0

यू0टी0यू0 नोडल अधिकारी	रू0 4000/– प्रतिदिन	रू0 5000/– प्रतिदिन
यू0टी0यू0पर्यवेक्षक/ जिला प्रशासनिक अधिकारी	रू0 3000/– प्रतिदिन	रू0 4000/– प्रतिदिन
यू0टी0यू0 नोडल केन्द्र कर्मचारियों का पारिश्रमिक तृतीय श्रैणी चतुर्थ श्रैणी	रू0 1500/– प्रतिदिन रू0 700/– प्रतिदिन	रू0 2000/– प्रतिदिन रू0 1000/– प्रतिदिन
केन्द्र व्यवस्थापक/परीक्षा कोर्डिनेटर	रू0 3000/– प्रतिदिन	रू0 4000/– प्रतिदिन
कक्ष निरीक्षक	रू0 400/– प्रतिपाली	रू0 600/– प्रतिपाली

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय

लिपिक	रू0 300 प्रतिपाली	रू0 400.00 प्रतिपाली
चतुर्थ श्रैणी (परीक्षा केन्द्र)	रू0 150/– प्रतिपाली	रू0 200.00/– प्रतिपाली
सहायक केन्द्र व्यवस्थापक	रू0 2000/– प्रतिदिन	रू0 3000/– प्रतिदिन
पेपर सेटर्स	–	रू0 100.00 प्रति प्रश्न

तकनीकी विश्वविद्यालय,देहरादून मूल्याकंन व्यय की दरें : सम सेमेस्टर परीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 से स्वीकृत दरें ।

क्र. स.	कार्य का नाम	वर्तमान दरें		वित्त समिति द्वारा स्वीकृत दरें
		मानक	दरें	
1	परास्नातक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दर	–	रू0 20.00 प्रति उत्तर पुस्तिका, लेकिन न्यूनतम रू0 500.00 प्रति विषय	रू0 25.00 प्रति उत्तर पुस्तिका, अधिकतम 60 उत्तर पुस्तिका प्रतिदिन
2	स्नातक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दर	–	रू0 15.00 प्रति उत्तर पुस्तिका, लेकिन न्यूनतम रू0 500.00 प्रति विषय	रू0 20.00 प्रति उत्तर पुस्तिका, अधिकतम 75 उत्तर पुस्तिका प्रतिदिन
3	प्रधान परीक्षक कम कोआर्डिनेटर	सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि हेतु एक प्रधान परीक्षक	रू0 3000.00 तथा प्रति विषय/ब्रान्च की कुल उत्तर पुस्तिकाओं के 5 प्रतिशत सीमा तक उपर्युक्त दरों पर अधिकतम रू0 15000.00	रू0 3000.00 तथा प्रति विषय/ब्रान्च की कुल उत्तर पुस्तिकाओं के 5 प्रतिशत सीमा तक उपर्युक्त दरों पर अधिकतम रू0 16000.00
4	उप प्रधान परीक्षक (प्रधान परीक्षक सहित)	सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि हेतु एक प्रधान परीक्षक	रू0 2500.00 तथा प्रति विषय/ब्रान्च की कुल उत्तर पुस्तिकाओं के 5 प्रतिषत सीमा	रू0 4000.00 तथा प्रति विषय/ब्रान्च की कुल उत्तर पुस्तिकाओं के 5 प्रतिषत सीमा तक उपर्युक्त दरों पर अधिकतम रू0 14000.00

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय

			तक उपर्युक्त दरों पर अधिकतम रू0 14000	
5	कोआर्डिनेटर का पारिश्रमिक (75000 उ0पु0 तक)	सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि हेतु एक प्रधान परीक्षक	0.25 प्रति उत्तर पुस्तिका एवं न्यूनतम रू0 2500.00 तथा अधिकतम रू0 10000.00 सम्पूर्ण मूल्यांकन हेतु	0.25 प्रति उत्तर पुस्तिका एवं न्यूनतम रू0 4000.00 तथा अधिकतम रू0 15000.00 सम्पूर्ण मूल्यांकन हेतु
6	डिप्टी कोआर्डिनेटर (75000 से अधिक उ0पु0 तक)	सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि हेतु एक प्रधान परीक्षक	0.25 प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम रू0 2000 अधिकतम रू0 8000)	0.25 प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम रू0 3000 अधिकतम रू0 10000)
7	मूल्यांकन केन्द्र का लेखांकन कार्य	–	लेखाकार रू0 1000.00 ,सहायक लेखाकार रू0 500.00,कुल रू0 2000.00 से अनाधिक	लेखाकार रू0 1500.00 ,सहायक लेखाकार रू0 800.00,कुल रू0 3000.00 से अनाधिक
8	मूल्यांकन कार्य मे लगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक	तृतीय श्रेणी के 02 कर्मचारियों हेतु(35000 उ0पु0 तक) चर्तुथ श्रेणी के 4 कर्मचारियों हेतु	रू0 150.00 प्रति दिन एवं पूर्ण मूल्याकंन अवधि में अधिकतम रू0 1500.00 रू0 120.00 प्रति दिन पूर्ण मूल्यांकन अवधि में अधिकतम रू0 1200.00	रू0 300.00 प्रति दिन एवं पूर्ण मूल्याकंन अवधि में अधिकतम रू0 2000.00 रू0 250.00 प्रति दिन पूर्ण मूल्यांकन अवधि में अधिकतम रू0 1500.00
9	मूल्यांकनकर्ताओं का सत्कार/ मूल्यांकन सामग्री अथवा कोडिंग एवं सेन्टर ऐवुलेशन के लिये लंच/चाय आदि	–	रू0 1.50 प्रति उत्तर पुस्तिका तथा प्रति विशय रू0 500 तक तथा रू0 85 प्रति दिन लंच,दो चाय,स्नेक्स सहित ।	रू0 3.00 प्रति उत्तर पुस्तिका तथा प्रति विषय रू0 1000.00 तक तथा रू0 250.00 (प्रति दिन लंच,दो चाय,स्नेक्स हेतु)।
10	छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी मांगने पर	–	रू0 100 प्रति उत्तर पुस्तिका	रू0 200 प्रति उत्तर पुस्तिका

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय			
11	परीक्षाफल के बाद स्क्रूटनी छात्रों के लिये	–	स्नातक रू0 250 एवं परास्नातक रू0 250 प्रति उत्तर पुस्तिका	स्नातक / परास्नातक रू0 500.00प्रति उत्तर पुस्तिका	
12	मूल्यांकनकर्ता बाहर से आने वाले आगन्तुकों के स्थानीय मार्ग व्यय		मूल वेतन रू0 10000 एवं इससे अधिक पर रू0 6.75 प्रति कि0मी0 एवं रू0 10000 से कम मूल वेतन पर रू0 3.00 प्रति कि.मी0. (लोकल अधिकतम दूरी 25 कि0मी0 तक)	रू0 10.00 प्रति कि0मी0 (लोकल में अधिकतम दूरी 50 कि0मी0 तक)	
13	बैक पेपर चार्ज छात्रों के लिये	–	रू0 500.00 प्रति पेपर	रू0 800.00 प्रति पेपर	
14	पुनर्मूल्यांकन शुल्क	–	रू0 5000.00 विषय	रू0 8000.00 प्रति विषय	
15	विशेष व्याख्यान आमंत्रण	–	रू0 1000.00 प्रति विषय	रू0 2000.00 प्रति विषय	
16	सक्षात्कार में चयन समिति के सउस्यों को मानदेय	–	रू0 1000.00 प्रति विषय	रू0 2000.00 प्रति विषय प्रति सदस्य एवं अध्यक्ष को रू0 5000.00 प्रति विषय	
17	बोर्ड आफॅ स्टडी के सदस्यों को मानदेय	–	रू0 1000.00 प्रति विषय	रू0 2000.00 प्रति विषय	
18	ऐकेडेमिक काउन्सिल,कार्य परिषद एवं वित्त समिति में भाग लेने वाले मा0सदस्यों को मानदेय का भुगतान	–	रू0 2000.00 प्रति विषय	रू0 3000.00 प्रति विषय	

<table>
<tr><th>बिन्दु संख्या</th><th>विषय</th><th>विनिश्चय</th></tr>
<tr><td>07.</td><td>विश्वविद्यालय में संचालित पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम पुनरीक्षित शुल्क ढांचा एवं इस पाठ्यक्रम हेतु समय–समय पर आयोजित रिसर्च मैथोलॉजी की कक्षाओं हेतु आमंत्रित विषय विशेषज्ञों को भुगतान किये जाने वाले मानदेय की दरों का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>विवरण</th><th>पूर्व से स्वीकृत दर</th><th>2016–17 हेतु प्रस्तावित दर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पंजीकरण शुल्क</td><td>रू0 100/रू0 500/–</td><td>रू0 1000/– एक बार</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>आर0डी0सी0शुल्क</td><td>रू0 10000/–</td><td>रू0 20000/– वर्षिक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>थीसिस मूल्यांकन/ वायवा वॉयस</td><td>रू0 15000/–</td><td>रू0 20000/– एक बार देय</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>विषय विशेषज्ञों को भुगतान</td><td>–</td><td>रू0 1500/ –प्रति लेक्चर</td></tr>
</table></td><td>समिति द्वारा प्रस्तावित की गई पुनरीक्षित दरों का अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>08.</td><td>विश्वविद्यालय कार्यहित में यू0टी0यू0अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रयुक्त निजी मोबाईल पर रिचार्ज व्यय विश्वविद्यालय निधि से वहन किये जाने के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी दर निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ (पृष्ठ 17)</td><td>समिति द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि वि0वि0 द्वारा प्रस्तावित की गई दरें बहुत अधिक है। अतः उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि मा0कुलपति जी को छोडकर आवश्यकतानुसार वि0वि0 कार्मिकों द्वारा उपयोग किये जा रहे निजी मोबाईल के स्थान पर सी0यू0जी0न0 दिये जायें । समिति द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुसार रिचार्ज व्यय दिये जाने पर सहमति प्रदान की गई।</td></tr>
<tr><td>09.</td><td>विश्वविद्यालय–सह संघटक संस्थानों में आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के साथ आकस्मिक घटित दुर्घटनाओं की</td><td>इस सम्बन्ध मा0 सदस्यों द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस कोष का सृजन केवल ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि से किया जा सकता है तथा कोष सृजन से</td></tr>
</table>

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय
	तात्कालिक चिकित्सा सहायता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से " कर्मचारी कल्याण कोष" के सृजन हेतु दिनांक 30–09–2016 को यू0टी0यू0 निधि में शासकीय ग्रांट को छोडकर उपलब्ध धनराशि रू0 212769974.00 को 0.5 प्रतिशत भाग तद्नुसार रू0 1063849.00 का पृथक खाता खोले जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	पूर्व विस्तृत गाईड लाईन तैयार करते हुये शासन से विधिवत स्वीकृति भी प्राप्त की जानी आवश्यक है।
10.	वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2013–14 से दिनांक 31–10–2016 तक यू0टी0यू0निधि से निर्मित्त/निर्माणाधीन भवन / अन्य कार्यों की सूची पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।(पृष्ठ– 21 – 23)	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान इन कयों पर कार्योत्तर स्वीकृति नही दी गई तथा यह आदेश दिये गये कि समस्त कार्यो की कार्योत्तर स्वीकृति शासन स्तर से ली जानी अनिवार्य है।
11.	यू0टी0यू0 के संघटक संस्थान बौन,उत्तरकाशी एवं तकनीकी संस्थान,टनकपुर के अनावासीय भवन निर्माण हेतु कमशः रू0 14055266.00 भूमि क्रय हेतु एवं रू0 1680645.00 भूमि हस्तानान्तरण हेतु यू0टी0यू0 निधि से दत्त व्यय पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।(पृष्ठ–24–25)	समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
12.	यू0टी0यू0 के 05 संघटक संस्थानों (पिथौरागढ,गोपेश्वर,सुद्धोवाला,उत्तरकाशी,टनकपुर) के अनावासीय भवन निर्माण की दिनांक 30–09–2016 तक की भौतिक /वित्तीय प्रगति तथा उक्त संस्थानों हेतु शासकीय अंश को छोडकर	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान यू0टी0यू0 निधि से दत्त धनराशि रू0 3144.105 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी आदेश दिये गये कि शासन द्वारा निर्धारित निति के अनुसार 50–50 प्रतिशत धनराशि (क्रमशः शासकीय एवं यू0टी0यू0 अंश) अवमुक्त किया जाना अनिवार्य है,तथा शासकीय अंश के रूप में देय धनराशि 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक व्यय न की जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय
	यू0टी0यू0 अंश के रूप में अवमुक्त कुल धनराशि रू0 3144.105 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति एवं निर्माण कार्यों की समय अवधि विस्तारण का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ शासन द्वारा संघटक कॉलेज खोले गये हैं,परन्तु इस हेतु विश्वविद्यालय की सहमति/असहमति नही ली है। अतः निर्माण कार्य हेतु यू0टी0यू0 अंश की धनराशि व्यय करने पर शासन की स्वीकृति के प्श्चात् वित्त समिति का अनुमोदन देना उचित होगा।(पृष्ठ–26)	गये कि कार्यदायी संस्थायें अपने स्तर से कार्य की प्रगति बनाये रखे। संघटक संस्थानों द्वारा एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण न करने पर दिनांक 31.03.2017 तक कार्य पूर्ण करने के समय का विस्तारण समिति द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि स्वीकार नहीं की जायेगी।
13.	वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों (पिथौरागढ/गोपेश्वर/सुद्धोवाला) में वित्तीय वर्ष 2014–15 में अध्ययनरत छात्रों हेतु रू0 132.19 लाख के फर्नीचर एवं रू0 1179.49 लाख के प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ (पृष्ठ 27–28)	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान इन क्रयों पर कार्योत्तर स्वीकृति नही दी गई,एवं प्रस्ताव शासन की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।
14.	विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों में निर्मित्त/निर्माणाधीन भवनों का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन हेतु गठित भवन अनुश्रवण कमेटी के सदस्यों को मानदेय की दरों(संयोजक रू0 5000 प्रतिदिन एवं सदस्य रू0 3000 प्रतिदिन) से भुगतान किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।(पृष्ठ–29–30)	समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सख्या	विषय	विनिश्चय
15.	उत्तराखण्ड राज्य में तैनात अन्य कुलपतियों की भांति तकनीकी विश्वविद्यालय के वर्तमान मा0 कुलपति को भी इस पद पर योगदान देने की तिथि दिनांक 21–04–2015 से देय अतिरिक्त विशेष भत्ता रू0 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी अपेक्षा की गई की शासन को इस सम्बन्ध में पृथक से सूचना प्रेषित की जाये।
16.	**अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः–** 1– विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों के शैक्षणिक स्टॉफ को 07 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	समिति द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने हेतु दिनांक 06/10/2015 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में समस्त संघटक संस्थानों के निदेशकों के साथ आहूत बैठक में की गई संस्तुति का अनुमोदन इस प्रतिबंध से किया गया कि समस्त संघटक संस्थानों में सहा0 प्रोफेसर का न्यूनतम वेतन/मानदेय रू0 35000/– कर दिया जाये, तथा समय–समय पर संस्थानों की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत वेतन/मानदेय में वृद्धि पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया जाये, समिति द्वारा की गयी संस्तुति को आगामी वित्त समिति की सहमति के लिए रखा जायेगा।
	2– यू0टी0यू0 की शुल्क प्राप्ति में कमी होने के कारण छात्र कल्याण सहायता के रूप में शत–प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत धनराशि यू0टी0यू0 निधि से वहन किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।
	3– संघटक संस्थानों के निदेशकों हेतु संस्थान निधि से वाहन क्रय का अनुमोदन एवं लोकल में अधिकतम 200 लीटर मासिक डीजल की खपत का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	समिति द्वारा प्रस्ताव अनूमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय
	4– अल्पसंख्यक संस्थानों (आर0सी0पी0 /क्वान्टम) को ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमानुसार सम्बद्धता शुल्क में 25 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	चूंकि अल्पसंख्यक संस्थानों को यू0जी0सी0 एवं ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमों के अनुसार भारत सरकार द्वारा सम्बद्धता शुल्क आदि में छूट दी जाती है,एवं यह राज्य सरकार का विषय नही है,अतः समिति द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया गया एवं इसे शासन को प्रेषित करने हेतु सुझाव दिये।
	5–विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों को प्रतिछात्र ₹ 200.00 मात्र में ग्रुप बीमा सुविधा दिये का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	चर्चा के दौरान वित्त नियंत्रक द्वारा समस्त मा0 सदस्यों को बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से पहले से ही रू0 200/– विकास शुल्क के रूप में लिये जाते हैं,अतः अब इसी धनराशि को ग्रुप बीमा के रूप में छात्रों को सुविधा दी जा सकती है। अतः सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में तैनात 08 नियमित कर्मचारियों का भी बीमा कराया जायेगा,जिसका वहन वि0वि0द्वारा किया जायेगा।
	6– संघटक संस्थानों द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क एवं अन्य समस्त शुल्क का विश्वविद्यालय को भुगतान न किये जाने पर दण्ड शुल्क लगाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	यह विषय कार्य परिषद का होने के कारण प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा विचार नही किया गया । विषय पर चर्चा के दौरान यह भी सहमति हुई कि चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा नव– प्रवेशित छात्र–छात्राओं के लिये लंबे समय से प्रवेश शुल्कादि में बढोत्तरी नही की गई है,अतः निर्णय लिया गया कि प्रवेश शुल्क आदि में बढोतरी का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।
	7– सेन्टर फॉर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन फाईनेंसियल एडमिनिस्ट्रेशन (सी0टी0आर0एफ0ए0) देहरादून को मार्ग निर्माण हेतु यू0टी0यू0 निधि से रू0 1.00 करोड़ के भुगतान का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	प्रस्ताव के संबंध में यू0टी0यू0निधि से रू0 1.00 करोड की धनराशि दिये जाने पर मा0 कुलपति महोदय की मौखिक सहमति का उल्लेख है,एवं इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा शासनादेश पारित किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ का अनुमोदन प्रदान किया गया कि भविष्य में उक्त संस्थान में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी समय–समय पर वित्तीय प्रबंधन, कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत कतिपय प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगें।

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय
	8–अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की चयन समिति/अम्पायर्स/ रेफरी/ स्कोरर आदि एवं ग्राउण्डसमैन, लाईनमैन खिलाड़ियों/मैनेजर/कोच आदि के यात्रा भत्ता/मानदेय की दरों का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ	प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं के मानदेय दिये जाने हेतु टेबुलर फार्म में आंकडे नही दिये गये,जिसके कारण पूर्व की दरों एवं वर्तमान की पुनरीक्षित दरों का अन्तर ज्ञात नही हो पाया,अतः समिति द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुये इसे आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया।
	9–तकनीकी विश्वविद्यालय के समस्त संघटक संस्थान अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के तहत रू0 50 हजार से अधिक की सामग्रियों के कय तथा अन्य साजसज्जा के कय की स्वीकृति विश्वविद्यालय से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे,का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया कि समस्त संघटक कॉलेजों के निदेशकों को चालू खर्चों के लिये रू0 50 हजार की धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 04 बार स्वीकृत की जायेगी।इससे अधिक की धनराशि व्यय करने हेतु प्रस्ताव वि0वि0 की स्वीकृति हेतु मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
	10–तकनीकी विश्वविद्यालय सहित समस्त संघटक संस्थानों के अधिकारियों एवं कार्मिकों,गैस्ट फैकल्टी एवं गैस्ट लैब सहायक आदि की वार्षिक वेतनवृद्धि विश्वविद्यालय की बिना पूर्व अनुमति के स्वीकृत नही की जायेगी।साथ ही गेस्ट फैकल्टी व गेस्ट लैब सहायक आदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति से नही रखे जायेंगें,का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ बिन्दु संख्या–16 के उप बिन्दु–01 में सुझाये गये उपायों का अनुपालन भी सुनिश्चित करने हेतु कहा गया।
	11–महिला प्रौद्योगिकी संस्थान,देहरादून ,जिन्होने अपने संस्थान को घाटे में चलना बताया है,अपने संस्थान के समस्त वित्तीय चार्ज– वार्षिक आय–व्यय का ब्योरा, कैश बुक,बैंक बुक एवं संस्थान की बैलेस सीट (Profit & Loss	समिति द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरांत तकनीकी विश्वविद्यालय के समस्त संघटक संस्थानों के समस्त आय–व्यय का रख–रखाव एवं व्यवस्था तकनीकी विश्वविद्यालय की देख–रेख में किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियमावली 2005 में की गई व्यवस्था के अनुरूप समस्त संघटक कॉलेज अपने–अपने संस्थान के वार्षिक आय–व्यय का ब्योरा,कैश बुक,बैंक पास बुक,बैलेंस

बिन्दु संख्या	विषय	विनिश्चय
	Account) को विश्वविद्यालय को हस्तानान्तरित करेंगे,जैसा कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट 2005 में उल्लेख है,का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	शीट(Profit & Loss Account) तकनीकी विश्वविद्यालय की देख–रेख में मा0 कुलपति महोदय की अनुमति प्राप्त करते हुये करेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संघटक कॉलेजों के समस्त वित्तीय अभिलेख विश्वविद्यालय द्वारा ही संचालित किये जायेंगें,जिसके लिये उन्हें 31 दिसम्बर 2016 तक समस्त वित्तीय अभिलेख एवं लेखे विश्वविद्यालय को सौंपे जायेंगे। संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से फीस आदि के रूप में प्राप्त धनराशि भी विश्वविद्यालय में जमा की जायेगी। संघटक संस्थानों के लेखों का ऑडिट महालेखाकार एवं स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा,जिसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के सम्मुख शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत की जायेगी।
	12–समस्त संघटक संस्थानों के निदेशक अपना वेतन आदि स्वयं आहरित नही करेगे, का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	विश्वविद्यालय के समस्त संघटक संस्थानों के निदेशकों द्वारा अपना स्वयं का वेतन आदि आहरित करने एवं चैक स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित करने पर की गई चर्चा के दौरान समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई कि संघटक संस्थानों की समस्त आय–व्यय आदि का ब्योरा विश्वविद्यालय में हस्तानान्तरित होने के फलस्वरूप आगे से समस्त निदेशकों का वेतन विश्वविद्यालय से आहरित किया जायेगा।

24/10/2016

(सुनील सिंह)
उप सचिव तकनीकी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

(आर0आर0सिंह)
संयुक्त सचिव,चिकित्सा शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव न्याय,
उत्तराखण्ड शासन।

(ए0एस0चौहान).
अपर सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

(जयपाल सिंह तोमर)
वित्त नियंत्रक / संयोजक
तकनीकी विश्वविद्यालय।

(प्रो0 पी0के0गर्ग)
कुलपति / अध्यक्ष,
तकनीकी विश्वविद्यालय।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून

UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY DEHRADUN

महिला पॉलीटेक्नीक परिसर, पो0ऑ0 चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड
Govt Girls Polytechnic Campus, P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun-248007, U.K.
Website : www.uktech.in, Tel. : 0135-2770126, 127, 128, Fax : 0135-2770124

अपर सचिव - वित्त (प्र/चा)

संख्या– 28505/वित्त समिति बैठक–02/ यू0टी0यू0/2016–17 दिनांक 04 नवम्बर 2016.

।। कार्यालय ज्ञाप ।।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–28453/लेखा/वित्त समिति बैठक –02/2016–17, दिनांक 22/26–10–2016 के द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनांक 04–11–2016 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से स्थान नवनिर्मित्त प्रशासनिक भवन,सुद्धोवाला, देहरादून में कुलपति कार्यालय कक्ष में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत की गई थी।

उपरोक्त बैठक अपरिहार्य कारणों से आहूत नही हो सकी। अब यह बैठक दिनांक 10–11–2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे से स्थान नवनिर्मित्त प्रशासनिक भवन,सुद्धोवाला, देहरादून में कुलपति कार्यालय कक्ष में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत की गई है। अतः समस्त मा0सदस्यगणों के अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि स्थान एवं समय पर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(प्रो0 पी0के0गर्ग)
कुलपति।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वित्त समिति के उपरोक्त समस्त मा0सदस्यगण/संयोजक।
2– निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(जयपाल सिंह तोमर)
वित्त नियंत्रक।

95

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून

UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY DEHRADUN

महिला पॉलीटेक्नीक परिसर, पो0ऑ0 चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड
Govt Girls Polytechnic Campus, P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun-248007, U.K.
Website : www.uktech.in, Tel. : 0135-2770126, 127, 128, Fax : 0135-2770124

संख्या–28505/वित्त समिति बैठक–02/ यू0टी0यू0/2016–17 दिनांक 04 नवम्बर 2016.

।। कार्यालय ज्ञाप ।।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–28453/लेखा/वित्त समिति बैठक –02/2016–17, दिनांक 22/26–10–2016 के द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनांक 04–11–2016 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से स्थान नवनिर्मित्त प्रशासनिक भवन,सुद्धोवाला, देहरादून में कुलपति कार्यालय कक्ष में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत की गई थी।

उपरोक्त बैठक अपरिहार्य कारणों से आहूत नही हो सकी। अब यह बैठक दिनांक 10–11–2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे से स्थान नवनिर्मित्त प्रशासनिक भवन,सुद्धोवाला, देहरादून में कुलपति कार्यालय कक्ष में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत की गई है। अतः समस्त मा0सदस्यगणों के अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि स्थान एवं समय पर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

प्रदीप गर्ग

(प्रो0 पी0के0गर्ग)
कुलपति।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वित्त समिति के उपरोक्त समस्त मा0सदस्यगण/संयोजक।
2– निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(जयपाल सिंह तोमर)
वित्त नियंत्रक।

संयुक्त सचिव (त0शि0)
कृपया प्रतिभाग करें।

(Om Prakash)
Principal Secretary
Govt. of Uttarakhand
08/11/16

दिनांक 10.11.2016 को दिन बृहस्पतिवार समय पूर्वान्ह 11.30 बजे से स्थान, नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में कुलपति कार्यालय कक्ष में एवं मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित, वित्त समिति की 14वीं बैठक में उपस्थिति।

क्र0स0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाईल संख्या
01	प्रो० पी०के० गर्ग	कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	P.K. Garg	
02	के. एस. चौहान अपर सचिव	वित्त विभाग ,उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव अथवा नाम निर्देशिती	[illegible]	
03	[illegible]	तकनीकी शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव / सचिव, अथवा नाम निर्देशिती	[illegible]	
04		उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव / सचिव, अथवा नाम निर्देशिती		
05	R. K. Singh J.S. M.E	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव / सचिव,अथवा नाम निर्देशिती	[illegible]	
06	Mahesh C. Kaushiwa Add. secretary (law)	न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव / सचिव,अथवा नाम निर्देशिती	[illegible] 10/XI/16	
07	Prof. SANDEEP SINGH	निदेशक, भारतीय प्रौघोगिकी संस्थान,रूड़की (मा0 कुलपति द्वारा नामित)।	Sandeep Singh 10th Nov 2016	9412073043
08	Dr. S. K. Goel	कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (मा0 कुलपति द्वारा नामित)	[illegible] 10/11/16	9045633821
09	J.P.S. Tomar	वित्त नियंत्रक,उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला (देहरादून)	[illegible] 10/11	
10	G.S. Rawat	(कुलसचिव/सदस्य सचिव)	[illegible] 10/XI/2016	
11				

97

दिनांक 04.11.2016 को दिन शुक्रवार समय पूर्वान्ह 11 बजे से स्थान, नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में कुलपति कार्यालय कक्ष में एवं मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित, वित्त समिति की 14वीं बैठक में उपस्थिति।

क्र0स0	नाम/पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाईल संख्या
01	कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	P.K Garg	a
02	वित्त विभाग ,उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव अथवा नाम निर्देशिती		
03	तकनीकी शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव/सचिव, अथवा नाम निर्देशिती		
04	उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव/सचिव, अथवा नाम निर्देशिती		
05	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव/सचिव,अथवा नाम निर्देशिती R.R. Singh	J.S. ME 4.11.2016	9927699041
07	न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव/सचिव,अथवा नाम निर्देशिती		
08	निदेशक, भारतीय प्रौघोगिकी संस्थान,रूड़की प्रतिनिधि (मा0 कुलपति द्वारा नामित)। Prof. Manoranjan Parida	MP 4/11/2016	9837423963
09	कुलपति, **गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर** (मा0 कुलपति द्वारा नामित) Sri S.K. Goyal	4/11/16	9045633821
10	वित्त नियंत्रक,उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सुद्धौवाला (देहरादून)	4/11	9412901050
11	कुलसचिव,उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सुद्धौवाला (देहरादून)		
अन्य- 12			

13

14–

15–

16–

17–

18–